क्रम-संख्या–4

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 2 जनवरी, 2026

पौष12, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या255 / 79-वि-1–2026-1-क-22–2025
लखनऊ, 2 जनवरी, 2026

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025 जिससे राजस्व अनुभाग–14 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 2 जनवरी, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2026 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम, 2025

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन्, 2026)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में स्थित भूमि, भवन और अन्य अनुलग्न अचल सम्पत्तियों के वास–स्थान का अभिलेख बनाने, अभिलेखों को अद्यतन करने तथा आबादी क्षेत्रों में प्रबंध और कराधान के लिए और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम, 2025 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह सरकारी गजट प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएँ

2–जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न कथित हो, इस अधिनियम में,–

(क) ''आबादी'' का तात्पर्य किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से है जो,–

(एक) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 31 के अनुसार अनुरक्षित ग्राम के अधिकार अभिलेख में ''आबादी'' के रूप में अभिलिखित हो; या

(दो) निजी स्वामित्व वाली कृषि भूमि का क्षेत्र जो वास–स्थान के रूप में उपयोग किया जाता हो; या

(तीन) वास–स्थान के लिए आवंटित भूमि हो; या

(चार) भूमि, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67–क के अधीन वास–स्थान हेतु अनुज्ञेय हो;

(ख) ''आबादी भू-खण्ड'' का तात्पर्य आबादी के सर्वेक्षण के पश्चात् तैयार किए गए मानचित्र में इस प्रकार सीमांकित भूमि के टुकड़े से है;

(ग) ''आबादी भू-खण्ड स्वामी'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम इस अधिनियम के अधीन आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया के पश्चात् तैयार किए गए ग्रामीण आबादी अभिलेख (घरौनी) में विधिपूर्वक एवं निर्विवाद रूप से अभिलिखित है;

(घ) ''आबादी सर्वेक्षण प्रपत्र'' का तात्पर्य इस अधिनियम के नियमावली तथा विनियमावली में संलग्न एक या एक से अधिक प्रपत्रों से है;

(ङ) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम, 2025 से है;

(च) ''सहायक अभिलेख अधिकारी'' का तात्पर्य संबंधित तहसील के उप संभागीय अधिकारी से है, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य अधिकारी को सहायक अभिलेख अधिकारी के रूप में नाम निर्दिष्ट न किया गया हो;

(छ) ''परिषद'' का तात्पर्य राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश से है;

(ज) ''केन्द्रीय सरकार'' का तात्पर्य भारत सरकार से है;

(झ) ''संहिता'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) से है;

(ञ) ''लेखपाल'' का तात्पर्य यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली, 2006 के अनुसार नियुक्त लेखपाल से है;

(ट) ''अभिलेख अधिकारी'' का तात्पर्य जिला के कलेक्टर से है;

(ठ) ''राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार (न्यायिक) एवं तहसीलदार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियिम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 4 की उपधारा (17) में निर्दिष्ट राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार (न्यायिक) एवं तहसीलदार से है;

(ड) ''धारा'' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा से है;

(ढ) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(ण) ''सर्वेक्षण संख्या'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 30 के अधीन तैयार किये गये अधिकार अभिलेखों या मानचित्रों में तैयार एवं अनुरक्षित किसी भू–खण्ड की अभिलिखित सर्वेक्षण संख्या से है;

(त) ''तकनीकी अभिकरण'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण कार्य हेतु नाम निर्दिष्ट किसी अभिकरण से है;

(थ) ''ग्राम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 4 की उपधारा (20) में यथापरिभाषित ग्राम से है।

अध्याय–2

आबादी सर्वेक्षण

आबादी अभिलेख

3–(1) ऐसी छूट, जैसा कि विहित की जाय, के अध्यधीन आबादी का एक अभिलेख होगा, जिसे 'घरौनी' कहा जायेगा।

(2) घरौनी में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थातः–

(क) स्वामी का नाम और पता;

(ख) आबादी भूखण्ड में अन्य स्वामियों का अंश;

(ग) भूखण्ड संख्या, आबादी भूखण्ड का माप और क्षेत्रफल;

(घ) आबादी भूखण्ड का स्थानिक विवरण;

(ङ) आबादी भूखण्ड का रेखाचित्र;

(च) यथाविहित अन्य विशिष्टियाँ।

(3) किसी ग्राम की सभी घरौनी का संकलन घरौनी रजिस्टर कहा जाएगा।

(4) एक भौमिक मानचित्र होगा जिसे आबादी मानचित्र कहा जाएगा।

सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया

4– घरौनी तैयार करने हेतु सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया ऐसी रीति में संचालित की जायेगी, जैसा विहित किया जाय।

सर्वेक्षण अधिकारी

5– राज्य सरकार सर्वेक्षण एवं अभिलेख कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार प्रत्येक जिले में सहायक अभिलेख अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती हैं।

अधिसूचना

6– राज्य सरकार, परिषद से प्रस्ताव प्राप्त होने पर, अधिसूचना द्वारा किसी जिले के आंशिक भाग या सम्पूर्ण आबादी के सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया के लिए आदेश दे सकती है।

सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया का संचालन

7– (1) राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया के लिए अधिसूचना जारी होने के पश्चात् अभिलेख अधिकारी आबादी सर्वेक्षण का दिनांक घोषित करेगा।

(2) अभिलेख अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया के दिनांक की घोषणा पर सहायक अभिलेख अधिकारी, तकनीकी एजेंसी की सहायता से सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया संचालित करेगा।

आबादी भूखण्ड

8– घरौनी में स्वामी के रूप में अभिलिखित व्यक्ति को आबादी भूखण्ड का स्वामी माना जायेगा।

आबादी अभिलेख का प्रकाशन

9– प्रारम्भिक आबादी अभिलेख (घरौनी) ग्राम सभा की खुली बैठक में सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा प्रकाशित की जायेगी।

सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया बंद करने से पूर्व आपत्ति निस्तारण

10–(1) घरौनी में की गई किसी प्रविष्टि से व्यथित कोई भी व्यक्ति अपने भूखण्ड के सर्वेक्षण की किसी त्रुटि के संबंध में अभिलेख अधिकारी के समक्ष विहित समय के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकता है।

(2) अभिलेख अधिकारी, घरौनी में किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होने पर या किसी त्रुटि या चूक का संज्ञान लेने पर, घरौनी में त्रुटि के सुधार के लिए, यथास्थिति, सभी संबंधित पक्षों के मध्य समझौते या सहमति के आधार पर विनिश्चय करेगा।

(3) अभिलेख अधिकारी का विनिश्चय सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा ग्रामीण आबादी अभिलेख के सुसंगत स्तम्भ में अभिलिखित किया जाएगा तथा तद्नुसार घरौनी में संशोधन किया जायेगा।

(4) यदि आबादी भूखण्ड के सम्बन्ध में घरौनी में कोई प्रविष्टि विवादित है तो उसे आबादी सर्वेक्षण प्रपत्र के सुसंगत स्तम्भ में विवादित के रूप में अंकित किया जायेगा तथा घरौनी में उसी रूप में अभिलिखित किया जायेगा।

सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया को बंद किया जाना

11–(1) सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अभिलेख अधिकारी आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया बंद करने के सम्बन्ध में परिषद को प्रस्ताव प्रेषित करेगा।

(2) राज्य सरकार, परिषद से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया को बंद करने की अधिसूचना जारी करेगी।

व्यक्तिगत भूखण्डों का सर्वेक्षण

12– सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया बंद होने के पश्चात् कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपने स्वामित्व वाले आबादी भूखण्ड के सर्वेक्षण के लिए अभिलेख अधिकारी को आवेदन कर सकता है तथा अभिलेख अधिकारी विहित रीति से कार्यवाही करेगा।

अध्याय–3

घरौनी में अद्यतनीकरण एवं नामान्तरण

सर्वेक्षण तथा अभिलेख संक्रिया बंद होने के उपरान्त घरौनी में संशोधन एवं अद्यतनीकरण

13–(1) सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष विहित रीति से निम्नलिखित के लिए आवेदन किया जा सकता है,–

(क) किसी लिपिकीय त्रुटि या लोप के सुधार हेतु

(ख) दूरभाष संख्या एवं पता के अद्यतनीकरण हेतु

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी भी आवेदन की प्राप्ति पर, या घरौनी में किसी भी त्रुटि या चूक के बारे में सहायक अभिलेख अधिकारी के संज्ञान में आने पर, सहायक अभिलेख अधिकारी ऐसी जांच करेगा जैसा वह आवश्यक समझे। समुचित विचारोपरान्त वह विनिश्चय करेगा और घरौनी में प्रविष्टि को अद्यतन करेगा।

निर्विवाद नामान्तरण

14—(1) ऐसे निर्विवाद मामलों के लिए, जिनमें—

(एक) उत्तराधिकारी; या

(दो) रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख; या

(तीन) रजिस्ट्रीकृत उपहार विलेख; या

(चार) सरकार या सरकारी उपक्रम द्वारा की गई नीलामी; या

(पांच) भूमि अधिग्रहण; या

(छह) रजिस्ट्रीकृत वसीयत; या

(सात) न्यायालयीन डिक्री; या

(आठ) विभाजन या उपविभाजन; या

(नौ) लिखित पारिवारिक समझौते, के परिणामस्वरूप घरौनी में आबादी भूखण्ड स्वामी के नाम में परिवर्तन होता है, उनका घरौनी में नामान्तरण विहित रीति से किया जायेगा।

(2) उत्तराधिकार के निर्विवाद मामलों में, राजस्व निरीक्षक ऐसी रीति से अभिलेख को अद्यतन करेगा जैसी विहित की जाय।

(3) उपधारा(1) एक से भिन्न अन्य निर्विवाद मामलों में, तहसीलदार/नायब तहसीलदार ऐसी रीति से अभिलेख को अद्यतन करेगा जैसी विहित की जाय।

(4) संयुक्त स्वामित्व वाली सम्पत्ति के निर्विवाद नामांतरण के लिए अंशधारकों की सहमति अनिवार्य होगी।

(5) नामान्तरण में विवाद की स्थिति में उपखण्ड अधिकारी/सहायक अभिलेख अधिकारी मामले को विवादित घोषित एवं अभिलिखित करेगा।

विवादित मामलों का सक्षम न्यायालय द्वारा सुना जाना

15—अद्यतनीकरण एवं नामन्तरण के विवादित मामलों में, सम्बन्धित पक्षकार सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

अध्याय—4

प्रकीर्ण

शुल्क का अवधारण

16—(1) राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात्, परिषद सर्वेक्षण, नामांतरण अद्यतनीकरण, अभिलेखों के अनुरक्षण आदि के लिए तथा घरौनी या किसी अन्य आबादी अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए शुल्क अवधारित कर सकती है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

17—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंध के साथ असंगत न होने वाला ऐसा उपबंध कर सकती है जो उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होः

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

सद्भावनापूर्वक कृत कार्यवाई का संरक्षण

18–इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी अधिकारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

नियमावली बनाने की शक्ति

19–राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियमावली बना सकती है।

व्यावृत्ति

20–संहिता की धारा 43 की उपधारा (2) तथा धारा 234 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 675/1–14/2020, दिनांक 8 अक्टूबर, 2020 द्वारा जारी विनियमावली के अधीन सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया के माध्यम से तैयार किये गये ग्रामीण आबादी अभिलेख (घरौनी), इस अधिनियम के अधीन तैयार किये गये माने जायेंगे।

विनियमावली बनाने की शक्ति

21–परिषद, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिये विनियमावली बना सकती है।

निदेश जारी करनें की शक्ति

22–राज्य सरकार, इस अधिनियम तथा तद्धीन बनायी गयी नियमावली और विनियमावली के उपबंधों एवं प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

उद्देश्य और कारण

भारत सरकार ने ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का स्वामित्व सम्बंधी अभिलेख तैयार करने के लिये नवीनतम ड्रोन प्रोद्यौगिकी से उन्हें सर्वेक्षण करके उनके वैधीकरण हेतु/समुचित अभिलेखों को तैयार करने के लिए ''स्वामित्व योजना'' नामक एक योजना प्रारम्भ की है। इस योजना के अधीन स्वामित्व सम्बंधी अभिलेख तैयार होने के पश्चात् राज्य में विरासत/उत्तराधिकार एवं विक्रय आदि के कारण होने वाले अंतरण, संशोधन अथवा अद्यतनीकरण किये जाने हेतु समुचित उपबंध किये जाने की आवश्यकता है।

चूँकि पूर्वोक्त मामले को विनियमित करने हेतु राज्य में कोई अधिनियम नहीं है। अतएव उपर्युक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण आवास योग्य क्षेत्रों में स्थित भूमि, भवन एवं अन्य अनुलग्न सम्पत्तियों के निवास अभिलेखों का अनुरक्षण करने, अभिलेखों को अद्यतन करने तथा आवास योग्य क्षेत्रों में प्रबंध और कराधान के लिए और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियम बनाये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।